प्रेस – नोट थाना खजनी दिनांक 18-04-2021

थाना खजनी क्षेत्रांतर्गत दिनांक 14.04.2021 को गांव मिश्रौलिया के प्रधान पद के प्रत्याशी राघवेन्द्र नारायण दूबे के हत्या के प्रयास के आरोप में अभियुक्त शम्भू यादव को घटना में प्रयुक्त 32 बोर पिस्टल व कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के दिशा निर्देशन में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खजनी के कुशल नेतृत्व में थाना प्रभारी खजनी द्वारा थाना खजनी जनपद गोरखपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 97/21 धारा अंर्तगत 307 भादवि का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी की गयी है।

थाना खजनी जनपद गोरखपुर के ग्राम मिश्रौलिया मे दिनांक 14.04.2021 को गांव मिश्रौलिया के प्रधान पद के प्रत्याशी राघवेन्द्र नारायण दूबे पुत्र स्व0 पौहारी शरण दूबे नि0 परसाडाड़ थाना खजनी गोरखपुर को विपक्षी प्रधान प्रत्याशी शम्भू यादव पुत्र लखराज यादव ग्राम परसाडाड खजनी गोरखपुर द्वारा चुनावी रंजिश को लेकर जान मारने की नियत से गोली मार दिया था जिसके सम्बन्ध में थाना खजनी पर मु0अ0सं0 97/21 अंतर्गत धारा 307 भादवि पंजीकृत किया गया था, दिनांक 18.04.21 को थानाध्यक्ष मृत्युंजय राय मय हमराह फोर्स के शम्भू यादव की गिरफ्तारी मुखबिर की सूचना पर बरडार तिराहे के पास की गयी एवं अभियुक्त शम्भू निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त पिस्टल 32 बोर व एक अदद खोखा एवं 2 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया एवं बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 99/21 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट का अभियोग अलग से पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

शम्भू यादव पुत्र लखराज यादव ग्राम परसाडाड खजनी गोरखपुर

बरामदगी-

एक अदद पिस्टल 32 बोर व एक अदद खोखा एवं 2 अदद जिंदा कारतूस

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 370ए/96 धारा 147, 323, 504, 506, 352 भादवि थाना खजनी गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 637/08 धारा 323, 504, 506, 325 भादवि 3(1)10 SC/ST ACT थाना खजनी गोरखपुर
3. मु0अ0सं0- 97/21 धारा 307 भादवि थाना खजनी गोरखपुर
4. मु0अ0सं-99/21 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना खजनी गोरखपुर

गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी व कर्मचारीगण-

1. थानाध्यक्ष मृत्युंजय राय
2. उ0नि0 दुर्गेश शुक्ला
3. हे0का0 सजय सिंह
4. का0 अजय कुमार
5. का0 मनीष यादव

7. का0 प्रवीण यादव